12.11.2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम महावा पटवार हल्का

महावा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खाता सं0 67 व भराला के खाता सं0 108, 36 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया नाम सजना कंवर पत्नी इन्द्र सिंह के स्थान पर बोलता नाम सुगनी पत्नी इन्द्र सिंह सहवन से गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जावें। वादीया ने वादपत्र के साथ ग्राम महावा स्थित अन्य भूमि खता सं0 149 जिसमें सही नाम है कि प्रति, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है जिनमें वादीया का नाम सजना कंवर पत्नी इन्द्र सिंह अंकित है। वादीया ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादीया का नाम सुगनी पत्नी इन्द्र सिंह सहवन से गलत दर्ज है जबकि वादीया का सही नाम सजना कंवर पत्नी इन्द्र सिंह है जिसकी पुष्टि वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। वादीया के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादीया साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम महावा पटवार हल्का महावा स्थित भूमि खाता सं0 67 व राजस्व ग्राम भराला पटवार हल्का महावा स्थित भूमि खाता सं0 36 व 108 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार सुगनी पत्नी इन्द्र सिंह के स्थान पर सजना कवर पत्नी इन्द्र सिंह दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)